

भाषा अर्जन और भाषा सीखना

डॉ. रेणु बाली,

अध्यक्ष हिन्दी विभाग,

वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था, नागपुर (महाराष्ट्र)

संकेतशब्द : वाचिक – संकेत के रूप में कहा या बतलाया हुआ / मुँह से कहा हुआ, संवादात्मक-जिसमें संवाद (बातचीत/वार्तालाप/कथोपकथन) का प्राधान्य हो, अभिव्यक्ति- प्रकट या प्रकाशित करने की क्रिया, अनुभूति-अहसास, सम्प्रेषण – प्रेषित करना / भेजना / किसी विचार आदि को पहुंचाना

भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिये हम वाचिकध्वनियों का उपयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होनेवाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे स्वयं से और दूसरों से बात करते हैं। भाषा केवल संवाद का ही साधन नहीं है- यह वह माध्यम भी है जिसके द्वारा हम अधिकांश ज्ञान हासिल करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो काफी हद तक हमारे आसपास के यथार्थ को हमारे मन में निरूपित करने के लिए ढाँचों में व्यवस्थित करती है।

भाषा हमारे विचारों के सम्प्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसका जन्म सदियों पूर्व हुआ। मौखिक भाषा तक पहुँचने की प्रक्रिया अत्यंत लंबी रही है। भाषा के द्वारा ही हम किसी दूसरे व्यक्ति के भावों, विचारों के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व व पारिवारिक-पृष्ठभूमि का परिचय प्राप्त करते हैं। भाषा के महत्व को मनुष्य ने लाखों वर्ष पूर्व पहचान कर उसका निरंतर विकास किया है। जब व्यक्ति कोई बात मुँह से उच्चरित करता है या उसे लिखकर अभिव्यक्त करता है तो उसकी भाषा में उसके अंतरंग भावों के साथ साथ उसका राज्य, वर्ग, जातीयता और प्रांतीयता भी कौंधती है। इस कौंध का संबंध व्यक्ति की मानवीय संवेदना और मानसिकता से भी है। जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य और मानसिकता कमतर स्तर की होगी, उसकी भाषा के शब्द और उनके मुख्यार्थ, व्यंग्यार्थ भी क्षुद्र स्तर के होंगे जबकि उन्नत मानसिक संवेदना वाले व्यक्ति की भाषा भी स्वस्थ और संस्कारी होगी। यशस्वी साहित्यकार श्री. नरेश मेहता के अनुसार-"जिसका जितना जीवन का सूक्ष्म प्रयोजन हो उतनी ही सूक्ष्म विकसित या संस्कारी भाषा की आवश्यकता होगी। अतः भाषा का संस्कारित होना अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ मनःस्थिति को अनुपयुक्त भाषा अभिव्यक्त नहीं कर सकती।" समाज में रहकर सम्प्रेषण-व्यापार या लोगों से बातचीत के लिए मनुष्य के पास भाषा ही एकमात्र माध्यम है। बातचीत के दौरान वक्ता और श्रोता की भूमिका बदलती है। वक्ता अपने विचारों को बोलकर श्रोता तक सम्प्रेषित करता है और श्रोता उन्हें सुनकर ग्रहण करता है। इसी भाषिक आदान-प्रदान से सम्प्रेषण सम्पन्न होता है।

भाषा का महत्व तथ्यात्मक व सूचनात्मक प्रयोगों के अतिरिक्त सर्जनात्मक व रसात्मक प्रयोगों में भी देखा जा सकता है। इसका संबंध लेखक के आंतरपीढ़ीगत जातीय (अपनी जातिविशेष से संबद्ध होने का भाव) संस्कारों से भी होता है। भाषा का महत्व उसकी रसात्मक, सम्प्रेषणीयता या रसास्वादन में भी है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य के सौंदर्य बोध और संवेदनाओं के संस्कार परिष्कार में साहित्य महत्वपूर्ण दायित्व निभाता है। इसके अतिरिक्त उसका और कोई उद्देश्य, कार्य नहीं है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति भी है, जिससे शिक्षित समाज का भी विकास-नवनिर्माण संभव है। मनुष्य को सभ्य व पूर्ण बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है और सभी प्रकार की शिक्षा का माध्यम भाषा ही है। साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र, सभ्यता आदि सभी क्षेत्रों में प्रारम्भिक से लेकर अधिकतम शिक्षा तक सभी स्तरों पर भाषा का महत्व स्पष्ट है। जीवन के सभी क्षेत्रों में किताबी शिक्षा हो या व्यावहारिक शिक्षा, वह भाषा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।

भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिये शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। भाषा अर्जन की कक्षा में लेखन के अन्तर्गत नए विचारों को

बुनने, उन्हें आवश्यकतानुसार बदलने अथवा सुधारने और अन्य साथियों के समक्ष प्रस्तुत अथवा साझा करने की प्रक्रिया समाहित होती है। इस प्रक्रिया में बच्चे कहानी-कविता के माध्यम से अपने लेखन का प्रस्तुतिकरण करते हैं। बच्चों की कक्षा-कक्ष में कहानी, कविता, घटना के वर्णन, पत्र, अखबार के समाचार, रिपोर्ट, चुटकुले, पहेलियाँ आदि के साथ के अनुभव उन्हें लेखनकी अलग-अलग शैलियों से परिचित कराते हैं। साथ ही ये बच्चों को अलग-अलग रूपों में लिखने के लिए प्रेरित भी करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों को कविता सुनने, पढ़ने आदि के अनुभव उनको अपनी ज़िन्दगी के अनुभवों को कविताओं के रूप में लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त के रूप में इन कक्षाओं में लिखना सीखने के लिए लिखने के अर्थपूर्ण मौके दिए जाने का चलन होता है। इस प्रक्रिया में बच्चे दृढ़निश्चित होकर विश्वास के साथ लिखना सीखते हैं।

भाषा अर्जन का पाठ्यक्रम पढ़ने और लिखने के दौरान निकलने वाले अर्थों को व्यक्तिगत अनुभवों के साथ जोड़कर देखने के लिए व्यक्ति-विशेष को प्रोत्साहित करता है। बच्चों के पास लगातार इस बात के अवसर होते हैं कि वे अपनी स्वयं की पसन्द की सामग्री को अकेले (यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो) बैठकर पढ़ें या उस पर लिखें। दूसरों की बात समझना, पढ़ना, अपनी बात कहना, लिखना, सोचना, सामाजिक सम्बन्ध बनाना, निर्देश देना व लेना आदि सबको साथ लेकर भाषा पर काम करना इन कक्षाओं के लक्षण हैं। अतः भाषा अर्जन पद्धति पर काम करने वाले विद्यालयों में बच्चे एक-दूसरे के साथ समाजीकरण की प्रक्रिया में उसी तरह घुलते-मिलते हैं जैसे कि वे कक्षा के बाहर एक-दूसरे से घुलमिल रहे होते हैं। बच्चे एक-दूसरे के साथ इन बिन्दुओं पर बात करते हैं कि वे क्या पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं किन समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं या किनका नहीं कर पा रहे हैं और कौन-कौन से प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए कक्षा-कक्ष के सन्दर्भ में प्राकृतिक एवं उपयुक्त परिस्थितियों में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन पर कार्य करने वाले शिक्षकों के समूह की एक मान्यता यह है कि दुनिया में रहने के लिए आवश्यक ज़रूरतें, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान अनुभव सीखने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक प्रेरणा देना है। इन कारणों से भाषा अर्जन की कक्षा में पढ़ानेवाले शिक्षक कक्षा-कक्ष में पढ़ाने-पढ़ाने की विषयवस्तु (क्या पढ़ाएँगे) और तरीके (कैसे पढ़ाएँगे) को बच्चों के साथ मिलकर उनकी रज़ामन्दी से ही अन्तिम रूप देते हैं।

भाषा अर्जन शिक्षक का सीखने-सिखाने के बारे में एक दृष्टिकोण है जो उसके कक्षा-कक्ष शिक्षण, सीखना कैसे होता है एवं बच्चों की समझ के नज़रिए से बनता है। छात्रों के सशक्तिकरण के लिए भाषा अर्जन पर काम करने वाले शिक्षक को पूरी किताब एवं विषयवस्तु को पढ़ने और लिखने के लिए न चुनकर छात्रों को वास्तविक रूप से पढ़ने और लिखने के मौके एवं फीडबैक देकर उनकी मदद करनी चाहिए। शिक्षकको इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखना है कि उन चीजों को न करें जो छात्र स्वयं कर सकते हैं। इस समूह के शिक्षक छात्रों को काम देते समय यह भी ध्यान रखें कि उन्हें यह काम असम्भव न लगे, परन्तु साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि काम करने में छात्रों को चुनौती अवश्य मिले। इस प्रक्रिया में छात्र पैटर्न, समानता, संबंधजोड़ने जैसी दिमागी कसरतों का उपयोग करते हुए कई बार उन दक्षताओं एवं उद्देश्यों को भी पार कर जाते हैं जिनकी अपेक्षा शिक्षक ने की थी। भाषा के अन्दर भाषाई स्वरूप की सम्पूर्णता जैसी कोई बात नहीं होती है। यदि शिक्षक और बच्चे किसी और के द्वारा भाषा के बनाए गए मानकों के लिए बाध्य नहीं हों तो वे भाषा के विकास की प्रक्रिया में भागीदार बन सकते हैं। हम जैसे ही भाषा में सम्पूर्णता (मानकीकरण) के ख्याल से अपने को दूर करते हैं साक्षरता के 'यह ही एकदम सही है' के मॉडल से भी अपने को दूर कर लेते हैं। इससे वे सभी विचार जो भाषा में एक तरह की विशेषज्ञता (मानकीकरण) की माँग करते हैं, 'प्राकृतिक परिवेश में भाषा का उपयोग करते हुए भाषा सीखने' की सोच के साथ परिवर्तित होते हुए प्रतीत होते हैं।

शिक्षक साथियों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब हम बच्चों का ध्यान भाषा की अर्थपूर्ण प्रक्रिया से दूर व्याकरण की शुद्धता की ओर ले जाते हैं तो सीखने की प्रक्रिया बेसुरी हो जाती है। इस कारण से (भाषा का उपयोग करने वाले) कई बच्चे भाषा सीखने की प्रक्रिया की प्राकृतिक गति, प्रवाह और प्रेरणा कभी हासिल ही नहीं कर पाते हैं। अर्थ सही हो इस पर काम कैसे करें, के प्रश्न के उत्तर में शिक्षकों ने कहा कि भाषा की विभिन्न रीतियों और मानक रूपों की ओर ध्यान आकर्षित करना हमारी

कक्षा का एक हिस्सा होता है लेकिन यह शुरुआती रूप से सुनना बोलना, पढ़ना, लिखना और इस दौरान अर्थ-निर्माण सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही हो - यह भ्रम हम नहीं पालते हैं। भाषा अर्जन पर कार्य कर रहे शिक्षकों के समूह में हमने यह देखा है कि बच्चों को पढ़ने की शुरुआत में ही शिक्षक उन्हें चुनने की आजादी देते हैं। सीखने के बिन्दुओं को बच्चे किस विषयस्तु, कहानी-कविता की चयनित किताबों से पढ़ेंगे यह चुनने की आजादी कुछ शिक्षक अपने बच्चों को देते हैं। बच्चों से उनके चुनाव के बारे में जानने के लिए वे बच्चों के बारे में, सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में भाषा एवं विषय के बारे में अपनी जानकारी के आधार पर योजना बनाते हैं। बच्चे शिक्षकों के इन आग्रहों को बड़े मजे के साथ स्वीकार करते हैं और स्वयं चुनकर किताबों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें मजे की बात यह भी है कि शिक्षक स्वयं भी अपने ही आमंत्रण को स्वीकार कर खुद भी पढ़े-लिखने की प्रक्रिया में बच्चों के साथ शामिल होते हैं और किताबें पढ़ते हैं या कहानियाँ लिखते हैं।

सीखने की प्रक्रिया के लिए भाषा को समझने और उसे स्पष्ट तथा प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता हासिल करना आवश्यक है। भाषाई कौशल प्रासंगिक विशेषताओं की दृष्टि से समृद्ध और संज्ञानात्मक अपेक्षाओं से रहित परिस्थितियों में व्यवहार करने के लिए पर्याप्त होते हैं, जैसे कि हमउम्र साथियों के साथ बातचीत करना। अतः प्रथम भाषा की शिक्षा का लक्ष्य कक्षा में धीरे-धीरे बच्चों की संवादात्मक और संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास को सहारा देकर इन कौशलों को माँजना है। यदि बच्चे को समृद्ध और रुचिकर परिवेश उपलब्ध करा दिया जाए तो वह स्वयं सही वर्तनी व्यवस्था के मानक रूप और उसके नियमों को हासिल कर लेगा। लेकिन यह भी बेहद जरूरी है कि इस दौरान बच्चे की अपनी स्वाभाविक भाषा (या भाषाओं) को सराहने और उसका सम्मान करने का ध्यान रखा जाए। इस बात को भी स्वीकारना चाहिए कि त्रुटियाँ, सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग होती हैं। बच्चे तभी अपने को सुधारते हैं जब वे ऐसा करने के लिए भीतर से राजी होते हैं। इसलिए त्रुटियों और कठिन बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करने से कहीं ज्यादा अच्छा यह होगा कि बच्चों को सुबोध रोचक और चुनौतीपूर्ण जानकारीयों तथा सामग्री प्रदान करने पर समय लगाया जाए।

भाषा की शिक्षा सिर्फ भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होती। किसी विषय को सीखने का अर्थ है उसकी शब्दावली सीखना, अवधारणाओं को समझना और उनके बारे में विवेचनात्मक चर्चा करना या लिखना। साथ ही साथ भाषा की कक्षा कुछ अनोखे अवसर प्रदान करती है। सीखने-सिखाने की सामग्री और गतिविधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के बीच में छोटे-छोटे सामूहिक वार्तालापों को प्रोत्साहित करें। चीजों को तुलनात्मक तथा सापेक्षिक ढंग से देखने सोच-विचार करने और स्मरण करने, अनुमान लगाने और चुनौती देने आँकने और मूल्यांकन करने की उनकी क्षमताओं को पोषित करें। श्रवणीय संसाधन और गतिविधियाँ ऐसी हों जो विद्यार्थियों में ध्यान देने, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को सराहने कथन के प्रवाह से जुड़े रहने और जो कहा जा रहा है उसके तात्पर्य के बारे में लचीली परिकल्पनाएँ गढ़ने की क्षमताओं को विकसित करने पर केन्द्रित हों। पढ़ने को भाषा शिक्षण के एक केन्द्रीय क्षेत्र की तरह तो सहज ही स्वीकार कर लिया जाता है।

स्कूलों के पाठ्यक्रम में जानकारी ग्रहण करने और उसे याद करने का इतना अधिक बोझ लाद दिया जाता है कि बच्चों को सिर्फ आनन्द के लिए पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। हर व्यक्ति को उसके मानसिक रुझान के अनुरूप पढ़ने के अवसर हर स्तर पर सुलभ कराये जाना चाहिए ताकि पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा मिले। शिक्षकों को स्वयं ऐसी संस्कृति का वाहक बकर उदाहरण पेश करना चाहिए। अधिकांश शिक्षक बच्चों के शुद्ध लिखने पर ही जोर देते हैं। उनके अपने विचारों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। जिस प्रकार कच्ची उम्र में उच्चारण का अनुशासन लाद देने से बच्चों का अपनी बोली में मुक्त भाव से बात करने का उत्साह घुटकर रह जाता है उसी प्रकार यांत्रिक ढंग से शुद्ध लेखन का आग्रह अपने विचार व्यक्त करने और संप्रेषित करने के लिए लेखन का उपयोग करने की आकांक्षा को अवरुद्ध कर देता है। शिक्षकों को इस बात के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है कि वे लेखन को उसी दायरे की विधा मानें जिसमें कलात्मक अभिव्यक्ति आती है। वे उसे एक दफ्तरी कौशल की तरह देखना बन्द करें। प्राथमिक वर्षों के दौरान बात करने, सुनने और पढ़ने से जुड़ी संवेदन शक्तियों के साथ ही लिखने की क्षमताओं को भी समेकित ढंग से विकसित किया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा के माध्यमिक और उच्च स्तर पर

कौशल विकसित करने के प्रशिक्षण अभ्यास की तरह, विषयों के नोट्स बनाने पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। ब्लैकबोर्ड, पाठ्यपुस्तकों या कुंजियों से नकल टीपने की प्रवृत्ति को काफी हद तक दूर करने में इससे मदद मिलेगी।

शिक्षा में इस बात को लेकर बहस होती है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाए। तमाम बाल मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, विद्वानों की गुहार को दरकिनार कर सरकारों ने कक्षा एक से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया। यह सिद्ध हो चुका है कि मातृभाषा में शिक्षा बालक के उन्मुक्त विकास में ज्यादा कारगर होती है। अलग-अलग आर्थिक परिवेश के बालकों में विषय को ग्रहण करने की क्षमता समान नहीं होती। अंग्रेजी में पढ़ाए जाने पर और कठिनाई होती है। जिनका पूरा परिवेश ही अंग्रेजीभाषामय हो, ऐसे परिवार देश में कम ही हैं। मातृभाषा के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो बालकों के चेहरे उत्फुल्लित दिखाई देते हैं। एक तो अंग्रेजी सीखनी पड़ती है-वह पढ़ी हुई नहीं मिल जाती। लेकिन सरकारों ने ठान लिया है कि बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम से ही पढ़ाना है। भाषा सीखना अच्छी बात है और गुणकारी भी है। भाषा हमें एक नये संसार में प्रवेश कराती है। लेकिन मातृभाषा की उपेक्षा कर शिक्षा के माध्यम से उसे हटाकर जिस तरह के भाषा-संस्कार डाले जा रहे हैं वह खतरनाक है। बालक न अंग्रेजी जान पा रहा है न मातृभाषा। एक खिचड़ी भाषा वह भी अधजली का संस्कार मिल रहा है। लिखित और बोलने के वाक्य में फर्क होता है। दरअसल न तो इन्हें मातृभाषा आती न अंग्रेजी। बहुत पहले जब अंग्रेजी आए तो उनके नौकर जो भाषा बोलते उसे बटलर भाषा कहा जाता। अगर समाज में कोई ऐसी भाषा बोलता तो उसका मजाक उड़ाया जाता कि क्या बटलर भाषा बोल रहे हो। अगर हम हिन्दी की ही बात करें तो कार्पोरेट उसके व्यावसायिक उपयोगिता समझता है। हिन्दी बाजार की, धंधे की विज्ञापन की भाषा के रूप में कार्पोरेट को स्वीकार है। केन्द्र सरकार ने अपने कार्यालयों में हिन्दी में कामकाज को बढ़ावा देने का उपक्रम किया है। हर साल 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। लेकिन कार्पोरेट में हिन्दी का कामकाज के लिए कोई जगह नहीं है। हिन्दी उनके उत्पाद के व्यापार के लिए स्वीकार्य है। अंग्रेजी माध्यमों के विद्यालयों में जिस तरह अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है वह केवल सेल्समैन पैदा करने के काम आ रही है। पुराने मेट्रिक पास अच्छी अंग्रेजी लिखा करते थे। ऊंची से ऊंची नौकरी पाने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी में निष्णात होना बहुत अच्छी बात है जरूरी भी है। लेकिन मातृभाषा की कीमत पर अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती ऐसा करने पर आधा तीतर आधा बटेर की स्थिति होगी।

प्रायः हर पालक की शिकायत है कि उसका बच्चा छत्तीस नहीं समझता थर्डिसिक्स बोलो तब समझता है। उनयासी कहो तो पूछता है- यह क्या होता है। सेवन्टी नाइन कहो तब कहेगा तो ऐसा बोलो ना किसी भाषा का कोई शब्द जो पूरा अर्थ दे अपनी भाषा में लेना गलत नहीं है। दुनिया की हरभाषा इसी तरह ग्रहण कर समृद्ध होती चली है। हिन्दी में उर्दू, फारसी, संस्कृत सहित लोकभाषाओं के ढेरों शब्द हैं। अपनी इस लम्बी यात्रा में अगर हिन्दीकी बात करें तो हिन्दी नेभी बाहर से खूब ग्रहण किया है। शब्द लेना ठीक, लेकिन हमारी भाषा के सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया और तो और पूरा वाक्य विन्यास का सत्यानाश करने में तुल गए हैं। अंग्रेजी के भी ढेरों शब्द हैं। मोटर, रेलगाड़ी, रोड, टाईम शब्द हिन्दी के हो गए हैं। इन सबसे हिन्दी समृद्ध हुई है। आज मोबाइल के साथ 'मिस कॉल' आया और गांव-गांव में रच बस गया। एक ठन मिस काल मार देबे- आम अभिव्यक्ति है। ई-मेल, इंटरनेट, कम्प्यूटर, लैपटॉप, फेसबुक आदि शब्द हिन्दी में चल निकले। इनका हिन्दी में अनुवाद करना हास्यास्पद होना है। यह भी विचार करना चाहिए कि किसी और भाषा से शब्द लेना एक बात है, लेकिन खिचड़ी वाक्य बनाना निरी मूर्खता है।

विशेष— इस समय सारे संसार में प्रायः हजारों प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं जो साधारणतः अपने भाषियों को छोड़ और लोगों की समझ में नहीं आतीं। भाषा अर्जन शिक्षक का सीखने-सिखाने के बारे में एक दृष्टिकोण है जो उसके कक्षा-कक्ष शिक्षण, सीखना कैसे होता है एवं बच्चों की समझ के नजरिए से बनता है शिक्षक साथी यह मानते हैं कि भाषा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का एक स्वस्थ वातावरण तभी बनता है जब शिक्षक बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने के मौके दें और इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।

अपने समाज या देश की भाषा तो लोग बचपन से ही अभ्यस्त होने के कारण अच्छी तरह जानते हैं, पर दूसरे देशों या समाज की भाषा सीखे बिना अच्छी तरह नहीं आती।

संदर्भ:

1. भाषाविज्ञान परिभाषा-कोश, प्रथम खण्ड, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली।
2. आधुनिक भाषा विज्ञान लेखक - डॉ राजमणि शर्मा, राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली।
3. भाषाविज्ञान की भूमिका- देवेन्द्रनाथ शर्मा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. भाषा विज्ञान : सैद्धान्तिक चिन्तनरवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र 'भारतीय भाषाओं का शिक्षण प्रथम संस्करण (2008), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
6. आकलन स्रोत पुस्तिका हिन्दी (2008), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
7. बच्चे की भाषा और अध्यापक (2003), कुमार कृष्ण, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।

